वित्तीय स्वीकृति-2023-24

संख्या-3/2023/001-826/52-2-2023-02(01)/बजट/2020

प्रेषक,

गुलाब सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संखलन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 03.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें 800 अन्य व्यय-03 उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण में प्राविधानित धनराशि रू0 287.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070-800-03 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 287.93 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख तिरनब्बे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0स0	मद का नाम	वर्ष 2023-24 का बजट	वर्ष 2023-24 के लिये निर्गत हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		प्राविधान	प्रस्तावित धनराशि
1	01-वेतन	104.86	104.86
2	02-मजदूरी	2.00	2.00
3	03-मंहगाई भत्ता	47.19	47.19
4	04-यात्रा-व्यय	2.00	2.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	6.00	6.00
6	06-अन्य भत्ते	5.00	5.00
7	07-मानदेय	10.00	10.00
8	08-कार्यालय-व्यय	8.00	8.00
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.50	3.50
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00	12.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	0.10	0.10
14	18-प्रकाशन	2.00	2.00
15	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00	2.00
16	26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	2.00	2.00
17	38-अंतरिम सहायता	0.78	0.78
18	42-अन्य व्यय	5.00	5.00
19	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
22	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
23	49-चिकित्सा व्यय	6.00	6.00
24	51-वर्दी व्यय	0.50	0.50
25	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	13.00	13.00
26	55-मकान किराया भत्ता	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	25.00
	कुल योग	**287.93**	**287.93**

3- उ0प्र0 न्यायाधिकरण के अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त मदों पर होने वाला व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(I) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेग। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(III) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

(IV) किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(V) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(VI) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा ।

(VII) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है ।

(VIII) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या- 48 के लेखा शीर्षक- "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ०प्र० वक्फ न्यायाधिकरण** के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-826(1)/52-2-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (ई-4) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में) / नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।